संख्या– ← / XXIV(6)/2013

प्रेषक,

डॉ0 निधि पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव,
दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम्, देहरादून।

देहरादून दिनॉक: 14 मार्च, 2013

शिक्षा अनुभाग–6

विषय : दून विश्वविद्यालय, देहरादून में लेक्चर हॉल कॉम्पलेक्स के अतिरिक्त क्षेत्रफल निर्माण हेतु आलोच्य वित्तीय वर्ष 2012–13 में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 951/169/आर–डीयू/2012 दिनांक 05, अक्टूबर 2012 एवं पत्र संख्या : 89/169/आरडीयू/20 दिनॉक 24,जनवरी–2013 में किए गए प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दून विश्वविद्यालय में लेक्चर हॉल कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, इकाई–देहरादून द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आंगणन ₹ 954.14 लाख जिसका परीक्षणोपरांत टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत ₹ 942.25 लाख में से पूर्व में शासनादेश संख्या : 20/xxiv(6)/2010 दिनांक 12,मार्च 2010 द्वारा ₹ 300 लाख, शासनादेश संख्या : 86/xxiv(6)/2010 दिनांक 01,सितम्बर 2010 द्वारा एससीएसपी योजनान्तर्गत ₹ 100 लाख तथा शासनादेश संख्या 20/xxiv(6)/2010 दिनांक 10,दिसम्बर 2010 द्वारा ₹ 199.82 लाख इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 599.82 लाख पूर्व में ही विश्वविद्यालय को अवमुक्त की जा चुकी है। प्रश्नगत् निर्माण कार्य में इंगित अतिरिक्त क्षेत्रफल स्वीकृति विषयक व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11,फरवरी–2013 **(प्रति–संलग्न)** में समिति द्वारा लेक्चर हॉल काम्पलेक्स के अतिरिक्त क्षेत्रफल 1372.97 वर्ग मीटर का प्रारम्भिक आंगणन में स्वीकृत दरों के अनुसार अतिरिक्त बजट स्वीकृत किये जाने की संस्तुति प्रदान करते हुए प्रस्तावित अवशेष कार्य वर्ष 2010 की दरों पर अपेक्षित सम्पूर्ण धनराशि ₹ 342.43 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रथम किश्त के रूप में **₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र)** को निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11,फरवरी 2013 में इंगित शर्तो के अधीन व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

–2

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण कार्य के आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा एवं किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भ वेत्ता के साथ अवश्य करा लें, निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9) यदि स्वीकृत राशि से स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

(10) व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 01,फरवरी 2010 में लिये गये निर्णयानुसार प्रश्नगत् लेक्चर हॉल काम्पलेक्स निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा कराया जायेगा । अग्रेत्तर स्वीकृति प्रस्तावित करते समय निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण करते हुए प्रत्येक दशा में वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र पर) प्रस्तुत किया जाएगा ।

(11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 2047/xiv–219(2006) दिनांक 30,मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(12) आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(13) विश्वविद्यालय प्रस्तावित परियोजना निर्माण को 15 जून 2013 तक पूर्ण करा लें । दून विश्वविद्यालय के अन्य भवनों का निर्माण दिनांक 30 जून 2013 तक पूर्ण करवा लिया जाय । इस हेतु कार्यदायी संस्था से तत्काल एम0ओ0यू0 कर लिया जाय, ताकि माह जुलाई 2013 से नया सत्र सुचारू रूप से संचालित किया जा सके ।

2. स्वीकृत की गई धनराशि उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा आहरित की जायेगी। आहरण के उपरान्त यथा आवश्यकतानुसार धनराशि निर्माण इकाई को दी जायेगी। प्रथमतः धनराशि आहरण कर दून विश्वविद्यालय के पी0एल0ए0 में जमा की जायेगी एवं बिन्दु संख्या 1 (13) के अनुसार निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 होने के उपरान्त ही यथा आवश्यकतानुसार धनराशि निर्माण एजेंसी को भुगतान की जायेगी ।

3. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रुप से उत्तरदायी मानी जायेगी। व्यय उन्हीं कार्यो एवं योजनाओं पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है।

4. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0एस0एण्डडी0 की दर तथा यह दर निश्चित न होने पर टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जाना होगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा, क्रय की गयी सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर में किया जायेगा जिसे सम्बन्धित् अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित भी किया जाना होगा। कम्प्यूटर आदि के क्रय के सम्बन्ध में आई0टी0 विभाग/नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6– निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 475/XXVII(7)/2007 दिनांक 15,दिसम्बर–2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U. हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत् परिव्यय,–01–सामान्य शिक्षा, 203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, 15–दून विश्वविद्यालय 00–35–पूँजीगत् परिसम्मपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 237(P)/XXVII(3)/2012–13 दिनॉक 05,मार्च–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं । सुसंगत मानक मद में नैट के माध्यम से बजट आंबटन विवरण पत्र की प्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव।

.....4

संख्या– 193 /XXIV(6)/2013 –तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
(2) जिला अधिकारी, देहरादून ।
(3) उप निदेशक, उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय, देहरादून।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
(5) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
(6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री।
(7) परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0,निर्माण इकाई देहरादून को टीएसी द्वारा परीक्षित आंगणन तथा व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11,फरवरी–2013 के कार्यवृत्त की प्रति सहित ।
(8) वित्त व्यय अनु–3,/बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन, उत्तराखण्ड शासन।
(9) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Higher Education (S018)

आवंटन पत्र संख्या - 193/xxiv(6)/2013

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - S1303110060

HOD Name - Vice Chancellor Doon University (456)

आवंटन पत्र दिनांक - 06-Mar-2013

1: लेखा शीर्षक - 4202 - शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय — 01 - सामान्य शिक्षा

203 - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

00 - दून विश्व विद्यालय — 15 - दून विश्व विद्यालय

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के स	40000000	20000000	60000000
	40000000	**20000000**	**60000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 20000000